



2026:AHC:14979

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44029 / 2025

रहीश बाबू

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: संजीव कुमार त्रिपाठी, विभा तिवारी

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता,

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार त्रिपाठी, तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री मनोज कुमार सिंह को सुना गया एवं प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत, अभियुक्त-आवेदक रहीश बाबू की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 386/2025, धारा 8/20 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, थाना सिरौली, जनपद बरेली में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के कब्जे से 10 किलोग्राम गांजा (मारिजुआना) की बरामदगी दर्शाई गई है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से कम है। जबकि वास्तविकता में ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है। यह भी कहा गया कि कथित बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, अतः आवेदक को झूठा फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न हेतु इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। वह दिनांक 12.10.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः यह निवेदन किया गया कि यदि आवेदक को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, इसलिए उसे जमानत प्रदान की जाए।

इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विचारण से पूर्व की अवस्था में अभियुक्त की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब वह मादक पदार्थों की आपूर्ति जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त बताया गया है। अतः आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यह भी कहा गया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके द्वारा पुनः इसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने की संभावना है।

मामले के तथ्यों, अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में संभावित दंड की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, उससे संबंधित विशिष्ट परिस्थितियों, विचारण के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने की संभावना, गवाहों के प्रभावित होने की आशंका, जनहित/राज्यहित तथा अन्य समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, तथापि मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जमानत प्रदान किया जाना उपयुक्त है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **रहीश बाबू** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ—

1. आवेदक जांच अथवा विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा गवाहों को भयभीत/प्रभावित नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना अनावश्यक स्थगन मांगे, विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।



साथ ही, बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास का सत्यापन किया जाएगा।

दिनांक : 19 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

Translated Version. Not For Legal Use.